फर्द अहकाम

लय का नाम

ी/प्रार्थी श्री शंकर — प्रतिवादी/विपक्षी श्री डांगा

म मुकदमा धा. प. — पत्रावली संख्या 1381 वर्ष 2016

ांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा मुकदमा जारी की गई

18/06/25 पत्रा. पेश हुई। उभयपक्ष उप.। बहस हेतु अवसर चाहा। न्यायहित में अवसर दिया जाता है। मि. वास्ते बहस के दिनांक:- 29/07/25 को पेश हो।

29/07/25 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/भ्रमण प्रशासनिक कार्य होने से पत्रावली दिनांक 15/09/25 को पेश होवें।

आज्ञा से

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

15/09/25 पत्रा. पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपना प्रार्थना पत्र दोहराते हुए मूलवाद पांती बटवाड़े के निस्तारण तक विपक्षीगण को पाबन्द कीये जाने का निवेदन कीया।

वकील विपक्षीगण ने बहस में कथन करते हुए कहा कि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है तथा मूलवाद पांती बटवाड़े का है अतः उभयपक्ष को मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द कीया जावे। जिसपर वकील प्रार्थीगण ने सहमती जताई एवं उभयपक्ष को मूलवाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन कीया।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कीया। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर अविभाजित होना प्रकट आया। अतः उभयपक्ष की सहमति अनुसार मूलवाद पांति बटवाड़े के निस्तारण तक मौजा ईसरवास जंगियान व.ह. ईसरवास जंगियान आ.नं. 1631, 1632, 1633 की कृषि भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को मूलवाद पांती बटवाड़े के निस्तारण तक पाबन्द कीया जाता है। पत्रा. फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर